

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा प्रस्तावित 765 के०वी०डी०सी० उरई-अलीगढ़ पारेषण लाइन पैकेज (TE08)के निर्माण कार्य में 0.7884 हे० संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। इस प्रस्ताव में संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त चिन्हित "वन स्वरूप क्षेत्रों" की कोई भूमि सम्मिलित नहीं है।

28/01/18
(सिद्धार्थ कुमार अम्बेडकर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी

28/01/18
(एस० एस० यादव)

के.के.जेन
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेज मैनपुरी 28/01/18